संख्या-743मु0मं0/सत्तर-2-2006-2(166)/2002

प्रेषक,

राजीव कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

(2) कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 07 नवम्बर, 2006

विषय:-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने हेतु भूमि के मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय/प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध में नये मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 तथा शासनादेश संख्या-585मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है।

2- बढ़ते हुए नगरीकरण तथा भूमि की सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में नये महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निर्धारित भूमि के मानक को कम किये जाने की माँग विभिन्न स्तरों से की गयी है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप भूमि पर बढ़ रहे दबाव को दृष्टिगत

..2/-

रखते हुए नवीन महाविद्यालयों की स्थापना हेतु उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 27-09-2002 के प्रस्तर (4) के बिन्दु (1.1) द्वारा निर्धारित भूमि के मानक को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क)	नगर निगम क्षेत्र	-	5000 वर्ग मीटर
(ख)	अन्य नगरीय क्षेत्र (नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र)	-	5000 वर्ग मीटर
(ग)	ग्रामीण क्षेत्र	-	10000 वर्ग मीटर

किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक उक्त का 50 प्रतिशत होगा।

3- उपरिसंदर्भित शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27-09-2002 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। नये महाविद्यालय/संस्थानों की स्थापना हेतु निर्धारित शेष मानक यथावत् लागू रहेंगे।

4- यह आदेश दिनांक 12-10-2006 या उसके पश्चात् विश्वविद्यालय/शासन में नये महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता हेतु प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रस्तावों पर लागू होंगे।

5- आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
सचिव।

संख्या-743मु0म0(1)/सत्तर-2-2006-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
अनु सचिव।